भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची

3057. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन नामकुम, रांची स्थित भारतीय लाख अनुसन्धान संस्थान के कर्मचारियों में वहां पर व्याप्त प्रशासनिक कुप्रबन्ध, पक्षपात और अनियमितताओं के कारण असन्तोष और घबराहट है जिसके परिणामस्वरूप अनुसन्धान कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है ;

(ख) क्या उक्त संस्थान के कुछ आदिवासी कर्मचारियों को एक वर्ष पहले ही सेवानिवृत्ति कर दिया गया है और क्या ऐसा करना सरकारी सेवा नियमों के अनुकूल है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मृत कर्मचारी, श्री महादवउरांव, जिससे सेवा के दौरान उसकी मृत्यू के पश्चात्-सेवा-निवृत्ति से पहले की तारीख से ही सेवा-निवृत्त कर दिया गया और उसकी विधवा पत्नी को तीन वर्षों से अपने पति की भविष्य निधि लेखा आदी की राशि का भुगतान न करके भूखा मरने को विवश होना पड़ रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि निदेशक नियमों के विपरीत अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हुये अपना वेतन ले रहा है और अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी संस्थान में बना हुआ है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर 'हां' है तो क्या सरकार वहां व्याप्त घोर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु जांच करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लाख अनुसंधान संस्थान रांची के मामलों से संबंधित शिकायतों की विस्तार से जांच की गई है । उस संस्थान में कोई कुप्रबन्ध नहीं है और न पक्षपात तथा अनियमितताओं के ही कोई उदाहरण सामने आये है । कर्मचारियों में भी किसी प्रकार का आतंक नहीं है कुछ कर्मचारी इस संस्थान से तबादले के कारण असन्तुष्ट है और वे झूठी अफवाहें फैला रहे है और संस्थान के निदेशक के विरुद्ध गलत आरोप लगा रहे है जिसके परिणामस्वरूप वहां के अनुसन्धान कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा मालूम पड़ता है ।

(ख) संस्थान का कोई आदिवासी अथवा अन्य कर्मचारी, सेवा निवृत्ति की नियत तिथि के पहले सेवा निवृत्त नहीं किया गया है और इस विषय पर नियमों के अनुसार ही सेवा निवृत्ति की गई है ।

(ग) इस संस्थान में सेवारत एक मजदूर, श्री महादेवउरांव को 20-1-1974 को सेवा निवृत्त होना था किन्तु कार्यालय की एक गलती के कारण वह 13-12-1974 तक कार्य करता रहा । सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद का उसका सेवाकाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियमित कर दिया गया । कुछ प्रशासनिक देरी के कारण उसकी भविष्य निधि का हिसाब अभी तक तय नहीं किया गया । इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारी से जवाब तलब किया जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । निदेशक को आदेश जारी किये गये है कि उसकी भविष्य निधि और दूसरे हिसाब तत्काल तय कर दें ।

(घ) निदेशक को, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा 1975 में चुना गया था और उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के अनुसार तत्कालीन कृषि तथा

सिंचाई मंत्री की स्वीकृति से उस पद पर नियुक्त किया गया था । उनका वेतन वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय किया गया था और इस संबंध में किन्हीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है । संस्थान में उनका कार्यकाल (टर्म) अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) इस संबंध में पहले ही जांच की जा चुकी है । संस्थान में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पाया गया ।

बिहार में तटबंध का निर्माण

3058. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा की बाढ़ से बचाव के लिए बिहार में बक्सर से कोयलवार तक 104 किलोमीटर लम्बे तटबन्ध का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या तटबंध का निर्माण-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ग) क्या न तो उक्त प्रयोजन के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए अब तक मुआवजा ही दिया गया है और न ही विस्थापितों को अपने मकानों के निर्माण के लिये भूमि आवंटित की गई है ;

(घ) क्या यदि बारिश शुरू होने से पहले तटबंध पूरा नहीं होता है तो न केवल तटबंध के लिए डाली गई मिट्टी ही बह जाएगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आस पास के ग्रामों के निवासियों को भी भारी क्षति होगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नदी में बाढ़ आने से पूर्व ही तटबंध का निर्माण पूरा करने और ग्रामवासियों को मकान बनाने के लिए स्थान देने और मुआवजा देने का है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) बिहार सरकार ने 10.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बक्सर से कोइलवार तक एक तटबंध बनाने के लिए एक स्कीम तैयार की है । इस स्कीम में गंगा के दक्षिणी किनारे पर 96 किलोमीटर तक, सोन और गंगा के संगम से कोइलवार तक सोन के पश्चिमी किनारे के साथ 11 किलोमीटर तक, गंगा (पश्चिमी) के दोनों किनारों के साथ 20 किलोमीटर तक और गंगा (पूर्वी) के दोनों किनारों के साथ 38 किलोमीटर तक, तटबंधों का निर्माण परिकल्पित है । इस स्कीम से 79,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की आशा है । यह स्कीम योजना आयोग द्वारा मई, 1973 में मंजूर की गई थी और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

श्रमिकों की मजदूरी में और सामग्री की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण बक्सर-कोइलवार तटबंध स्कीम की अब अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम की लागत में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और पटना बाढ़ सुरक्षा स्कीम के तात्कालिक कार्यों के निर्माण के कारण भी इन दोनों स्कीमों के बीच भी तटबंधों की विभिन्न पहलुओं के निर्माण-कार्यों की प्राथमिकताएं दुबारा निर्धारित करना आवश्यक हो गया है । बक्सर-कोइलवार स्कीम का निर्माण 1973-74 में शुरू किया गया था और यह संभावना थी कि यदि धन उपलब्ध हो जाता है तो यह स्कीम पांच वर्ष में पूरी हो जाएगी । लेकिन धन की तंगी के कारण 1976-77 तक केवल 429 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके । 1977-78 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 200 लाख रुपए है । अब इस स्कीम का 1980-81 में पूर्ण हो